राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांकः– CE/PWD/DAT/16/D-93 दिनांक :– 26.05.2016

# परिपत्र - 05/2016-17

## मानसून, वर्ष 2016 में बाढ़ प्रबन्धन हेतु तैयारियॉ

दक्षिण पश्चिम मानसून, वर्ष 2016 राज्य में शीध्र ही सक्रिय होने जा रहा हैं। अतः राज्य में अतिवृष्टि या अन्य कारणों से जलभराव/बाढ़ की सम्भावना को देखते हुये जन धन के सुरक्षात्मक उपाय हेतु उचित प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ प्रबन्धन हेतु जारी गाईड लाईन्स् तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी बाढ़ सहिता व समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसरण में विभाग के स्तर से निम्न कार्यवाहीयॉ सुनिश्चित की जानी हैः–

(ए) केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना :–

1. विभाग का केन्द्रिय नियन्त्रण कक्ष वृत्त जयपु ग्रामीण के अधीन स्थापित होगा।
2. केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना 24x7 अवधि के लिये की जावेंगी जो कि 15 जून 2016 से प्रभावी होकर मानसून के अन्त (30 सितम्बर 2016 या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के आदेशोनुसार) तक कार्यरत रहेगा।
3. केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष में न्यूनतम सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी व उसके सहयोग हेतु आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे ।
4. केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष सचांलन हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों का पदस्थापन आदेश अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता संभाग द्वितिय द्वारा जारी किये जावेगें। नियन्त्रण कक्ष मे रोटेशन के आधार पर जयपुर स्थित विभाग के वृत्त/खण्ड कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारियों को लगाया जाये।
5. केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष का दूरभाष व फैक्स नम्बर 0141–5110529 व ई–मेल पता piu.jaipur@rediffmail.com निर्धारित किया हुआ है।
6. राज्य के किसी भी क्षैत्र मे सड़क व पुलियाओं के क्षतिगस्त होने की सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष प्रभारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगें व दैनिक रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता (विशिष्ट योजना) को प्रस्तुत करेगे तथा बाढ़ आने/बाढ आपदा घोषित होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल दूरभाष/मोबाईल द्वारा मुख्य अभियन्ता (विशिष्ट योजना) को अवगत करवायेंगे।

(बी) संभाग/जिला / खण्ड स्तर पर नियन्त्रण कक्षों की स्थापना :–

1. संभाग मुख्यालय /जिला मुख्यालय व प्रत्येक खण्ड स्तर पर पृथक से 24x7 अवधि के लिये नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जावें जो कि 15 जून 2016 से प्रभावी होकर मानसून के अन्त (30 सितम्बर 2016 या जिला क्लेकटर के आदेशोनुसार) तक कार्यरत रहे तथा समस्त आवश्यक उपकरणों फैक्स/दूरभाष, कम्प्युटर मय इन्टरनेट सुविधा से युक्त हो।